भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *5
(जिसका उत्तर सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक), को दिया जाना है)

खुदरा मुद्रास्फीति

***5** **श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:**
श्री पार्थिबन एस.आर:
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खुदरा मुद्रास्फीति के साथ-साथ थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में हुई अभूतपूर्व वृद्धि से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्च मुद्रास्फीति के कारणों का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ड.) देश में मंहगाई की बढ़ती दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा, यदि कोई हो तो, क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत तथा श्री पार्थिबन एस.आर. द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को खुदरा मुद्रास्फीति पर पूछे जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 5 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी करती है। अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति दर नीचे सारणी में दी गई है।

मुद्रास्फीति दर (%)	**अप्रैल**-21	**मई**-21	**जून**-21	**जुलाई**-21	**अगस्त**-21	**सितंबर**-21	**अक्तूबर**-21
सीपीआई-सी आधारित खुदरा मुद्रास्फीति	4.23	6.30	6.26	5.59	5.30	4.35	4.48
डब्ल्यूपीआई पर आधारित थोक मुद्रास्फीति	10.74	13.11	12.07	11.57	11.64	10.66	12.54

विगत एक महीने का सीपीआई-सी डेटा और पिछले दो महीनों का डब्ल्यूपीआई आंकड़े अनंतिम है
स्रोत: सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(ग) और (घ) सीपीआई-सी पर आधारित मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख मुद्रास्फीति दर है। जुलाई 2021 से, सीपीआई-सी पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से दिनांक 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित +/-2 प्रतिशत अंकों के टॉलरेंस बाण्ड सहित 4% की लक्षित सीमा में है। मुद्रास्फीति का दबाव व्यापक रूप से सीपीआई-सी में 'तेल और वसा' और 'ईंधन और प्रकाश' जैसी श्रेणी में रिपोर्ट किया गया था। मुद्रास्फीति में तेजी का रुझान मुख्य रूप से बहिर्जात कारकों के कारण रहा है अर्थात कच्चे तेल और खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, जिसका प्रभाव इन वस्तुओं पर भारत की आयात निर्भरता के कारण घरेलू मुद्रास्फीति पर पड़ता है। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की वृद्धि भी ज्यादातर 'ईंधन और विद्युत' और विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति से प्रेरित है, जो एक बार फिर कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय वस्तु/इनपुट कीमतों में वृद्धि से प्रेरित है।

(ड.) मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई आपूर्ति पक्ष उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

कच्चा तेल/पेट्रोलियम उत्पाद: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दिनांक 04.11.2021 से क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कमी की है, इसके जवाब में कई राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर भी कम किया है। इसके फलस्वरूप, पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है। भारत ने मूल्य नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में अपनी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल जारी करने की अनुमति दे दी है। यह निर्गमन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीनी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य सहित अन्य प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ताओं के समानांतर परामर्श से किया जाएगा।

आवश्यक वस्तु: प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति की सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

दलहन: दलहन में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) वर्ष 2021-22 के लिए 23 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के बफर स्टॉक लक्ष्य को मंजूरी दी गई है। स्टॉक को बाद में खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से कीमतों को स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है (ii) जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने जुलाई 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कुछ दलहन पर स्टॉक सीमा भी लगाई है। (iii) दिनांक 31 दिसंबर, 2021 तक तूर और उड़द को 'नि:शुल्क' श्रेणी में रखते हुए आयात नीति में बदलाव किया है। (iv) मसूर पर मूल आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को क्रमश: शून्य और 10% तक लाया गया है। (v) इसके अतिरिक्त, म्यांमार के साथ उड़द के 2.5 एलएमटी और 1 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए

हैं, और मलावी के साथ 0.50 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात और मोजाम्बिक के साथ 2 एलएमटी तूर के आयात को और 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

खाद्य तेल: खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए खाद्य तेलों पर प्र:शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है और जमाखोरी से बचने हेतु दिनांक 31 मार्च, 2022 की अवधि तक स्टॉक सीमा लगाई गई है। पाम तेल के घरेलू उत्पादन और उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय सहित राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- पाम तेल को मंजूरी दी गई है।

*****